संख्या :शिक्षा – शिमला प्रा0 (2–4)र(1)1 / 20–मान्यता प्राथ – /4378–80
कार्यालय उप निदेशक शिक्षा प्रारम्भिक,
जिला शिमला– शिमला –171004

811
23-2-21

दिनांक शिमला–171004, 17–2–2021.

कार्यालय आदेश

23-2-21

इस कार्यालय के पत्र सम संख्या: द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए पहली से आठवी कक्षा तक के लिए आपकी पाठशाला को चलाने हेतू मान्यता कोड **000510** जारी किया गया है, का नवीनीकरण वर्ष 2020–2021 के लिए किया जाता है तथा हर वर्ष हेतू उपरोक्त मान्यता कोड जारी पत्र में क0सं0 01 से 19 पर दिये गये दिशा–निर्देशानुसार समय पर मामला सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ताकि वर्ष 2021–2022 के लिए मान्यता कोड का नवीनीकरण समय पर किया जा सके तथा भविष्य में पांच वर्ष की अवधि के पत्र की छायाप्रति संलग्न करे।

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला–4, जिला शिमला ।

पृष्ठाकंन संख्या दिनांक शिमला–171004 2021

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला –1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी **Rampur** को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य ... **Spring Dale School Khaneri (Rampur)** जिला शिमला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित है।
4. रक्षक नस्ति।

उप शिक्षा निदेशक प्रारम्भिक
शिमला–4, जिला शिमला ।

Ward No. 9 Khaneri Rampur (H.P.)

SPRING DALE SCHOOL
SHIMLA (H.P.) 172001
RAMPUR BSR
Principal
Spring Dale School

[illegible] (रा-2) [illegible] [illegible] [illegible] - 3/93-15

[illegible] उप निदेशक, शिक्षा प्राथमिक,
[illegible] हिमाचल — शिमला - 171004

[illegible] शिमला-171004

19-1-2018

व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य
Spring Dale School Khaneri (Rampur)
खण्ड रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 [illegible] ([illegible]) के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम [illegible] के अधीन [illegible] की अधीन विद्यालय की मान्यता के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

उपरोक्त विषय पर आपकी पाठशाला के पत्र संख्या —17—15—237 दिनांक 31.01.2017 के [illegible] [illegible] प्रस्तुति/ प्रधानाचार्य के प्रतिनिवेदन से Spring Dale School Khaneri (Rampur) खण्ड रामपुर [illegible] जिला शिमला [illegible] की 01.03.2017 से 28.02.2022 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ तथा इस वर्ष हेतु [illegible] के [illegible] के अनुसार कार्यवाही करें।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :-

[illegible] मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और इसमें किसी भी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के आरक्षण करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ([illegible]) और [illegible] और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 ([illegible]) [illegible] [illegible]

3. प्रबन्धन / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा [illegible] और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक का किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

4. विद्यालय किसी बालक को निम्नलिखित के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा :-

(i) आयु का सबूत न होना।
(ii) यदि ऐसा प्रवेश प्रवेश के लिए 90 दिन की विस्तारित अवधि के पश्चात [illegible] [illegible]
(iii) धर्म, जाति या वंश, जन्म के स्थान या इनमें से किसी के आधार पर।

5. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने [illegible] [illegible] रोका नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जायेगा।

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा [illegible] [illegible]

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 19 के अधीन यथा अधिकथित [illegible] [illegible] [illegible] जायेगा।

(v) निःशक्तता युक्त विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को अधिनियम के [illegible] [illegible] जायेगा।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित [illegible] [illegible] [illegible] और विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर [illegible] [illegible] [illegible] पूरी अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक / अध्यापिका अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन [illegible] [illegible] / [illegible] और [illegible]

[illegible] धारा 28 की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Manager
Springdale School
Ward No. 9 Khaneri Rampur (H.P.)

SPRING DALE SCHOOL
RAMPUR BSR
Principal
Spring Dale School

7. विधालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट, विधालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात ... नामांकन करेगा।

8. विधालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :—

विधालय परिसर का क्षेत्रफल, :— 2800.00 वर्ग फुट
कुल निर्मित क्षेत्र, :— 2200.00 वर्ग फुट
कीडा स्थल का क्षेत्रफल , :— ....
कक्षा के कमरों की संख्या, :— 18

मुख्याध्यापक एवं कार्यालय एवं भण्डार कक्ष के लिए कमरा, बालक और बालिका के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड —डे —मिल पकाने हेतू रसोई अध्यापन पठन सामग्री / खेल—कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता बाधा रहित पंहुच .

9. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर, विधालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10. विधालय भवनों या अन्य अवसंरचनाओं या कीडा स्थलों का, विधालयों के किसी कर्मचारी के निवास के प्रयोजन के सिवाए ,दिन या रात्रि के दौरान वाणिज्यक या आवासीय प्रयोजनों के लिए या किसी भी प्रकार राजनैतिक या गैर — शैक्षणिक कियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

11. विधालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाएगा।

12. विधालय को किसी व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।

13. विधालय के लेखाओं की, किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

14. प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति उप निदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

15. आपके विधालय को आबंटित मान्यता कोड संख्याक 000510 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें ।

16. विधालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है,जो समय—समय पर निदेशक, शिक्षा / उपनिदेशक / खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और वह राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाएगा।

18. राज्य सरकार अनुपालना के लिए समय—समय पर अतिरिक्त भत्ते विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

19. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-2 (एन 0) उपखण्ड (11) तथा (4) में निर्दिष्ट सभी वैधानिक रूप से कार्यरत स्कूलों के प्रबन्धक हर वर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से कम से कम 15 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्व-घोशणा पत्र (प्रपत्र में ही हर स्थिति से अवगत करवाया जाए) प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें । मान्यता के नवीनीकरण हेतू पांच सौ रूपये का शुल्क प्रति वर्ष देय होगा ।

17/01/18

उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक
शिमला—4, जिला शिमला ।

संख्या दिनांक शिमला—171004 2017

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ,हिमाचल प्रदेश शिमला —1 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित है ।
3. गार्ड फाईल ।

Manager
Springdale School
Ward No. 9 Khaneri Rampur (H.P.)

SPRING DALE SCHOOL
RAMPUR, BSR.

Principal
Spring Dale School